मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-6/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - सेवानिवृत्ति पर शासकीय वसूलियों के संबंध में ।

शासन के ध्यान में यह आया है कि सेवानिवृत्ति पर शासकीय वसूलियों के संबंध में कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 25/93/2001/चार/पी.डब्ल्यू.सी. दिनांक 28-7-2001 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2/ उपर्युक्त परिपत्र में वर्णित निम्नांकित निर्देशों को पुनः आपके ध्यान में लाया जाकर इन निर्देशों को समस्त अधीनस्थों के संज्ञान में लाकर कड़ाई से पालन कराये जाने का अनुरोध है :-

(1) कार्यालय प्रमुखों को संबंधित शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व वसूली योग्य राशियों का निर्धारण कर लेना चाहिये एवं वसूलियाँ सेवानिवृत्ति के पूर्व तक पूरी हो जाना चाहिए । यदि किसी कारण से कोई वसूली योग्य राशि अवशेष रहती है तो संबंधित को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय अन्य भुगतान जैसे अर्जित अवकाश समर्पण/नगदीकरण, प्रत्याशित उपदान या शासकीय सेवक की सहमति से परिवार कल्याण निधि/समूह बीमा राशि की बचत की जमा राशि आदि से ऐसी समस्त वसूलियाँ की जानी चाहिए ।

(2) सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय राशि की वसूली पेंशन पर देय राहत से ही की जाती है । अतः इस प्रकार के समस्त वसूली योग्य राशि सेवानिवृत्ति पर देय मूल पेंशन की 30 माह की राशि तक ही सीमित रहेगी । यदि इससे अधिक की वसूलियाँ पेंशनर पर बनती है तो प्रशासकीय विभाग ऐसी वसूलियों के लिए पृथक से सिविल वाद दर्ज करवाएँ या अन्य विभागीय माध्यमों से इस राशि की वसूली करने की कार्यवाही करें ।

(3) ऐसे प्रकरणों मे जहाँ 30 माह की मूल पेंशन से अधिक राशि वसूली योग्य होते हुए भी अर्जित अवकाश समर्पण/नगदीकरण, प्रत्याशित उपदान आदि की राशि का भुगतान कर दिया गया हो, वहां 30 माह की मूल पेंशन से अधिक वसूली की समस्त राशि 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित संबंधित कार्यालय प्रमुख से भी वूसली योग्य होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन. मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

Sandhi/Paripatra/2011
Web- http://www.mp.gov.in/finance

2011-11-25

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-6/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर,2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निर्देशक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सेना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग